जनमानस की सजगता से ही समाधान

अनूप भटनागर

अब तो ऐसा लगने लगा है कि जनता को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन देने के राजनीतिक वादे सिर्फ वादे ही हैं। देश की राजनीति को पूरी तरह अपराधीकरण से मुक्त कराने के निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका के सतत् प्रयासों को राजनीतिक दल ही ठेंगा दिखाते हैं। दागी छवि वाले व्यक्तियों को चुनाव में प्रत्याशी बनाने के पक्ष में तमाम तर्क दिये जा सकते हैं लेकिन जनता के बीच राजनीतिक दलों की छवि किसी भी तरह सुधर नहीं रही है। केन्द्र में सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख घटक भाजपा, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित शायद कोई दल ऐसा है जो चुनाव जीतने के लिए दागी छवि वाले व्यक्तियों को अपना प्रत्याशी नहीं बना रहा है। स्थिति यह है कि दागी छवि वाले व्यक्ति चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि बनते हैं और फिर मंत्री भी बन जाते हैं लेकिन उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल करते समय भी शीर्ष अदालत की हिदायत पर ध्यान नहीं दिया जाता। न्यायालय ने करीब छह साल पहले कहा था कि जब न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं में संदिग्ध छवि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो सकती तो फिर मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को कैसे जगह दी जा सकती है।

निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका ने चुनावी प्रक्रिया में दागी छवि वाले व्यक्तियों की भागीदारी पर लगाम लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण आदेश और फैसले सुनाये हैं। इनकी वजह से कुछ हद तक दागी छवि वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी दो साल या इससे ज्यादा की सजा होने पर लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहना पड़ रहा है।

लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधियों और नेताओं की जमात है जो गंभीर किस्म के अपराध में आरोपी होने के बावजूद चुनाव मैदान में देखे जा सकते हैं। इसकी वजह ऐसे नेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में अत्यधिक विलंब है।

दागी छवि वाले नेताओं को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने के इरादे से ही उच्चतम न्यायालय ने 10 मार्च, 2014 को कहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1), धारा 8(2) और धारा 8(3) के दायरे में आने वाले अपराधों के लिए मुकदमों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संलिप्तता वाले वे मामले, जिनमें आरोप निर्धारित हो चुके हैं, की सुनवाई यथासंभव एक साल के भीतर पूरी की जाये। इसके बावजूद सरकार ने इस आदेश के प्रति बहुत अधिक गंभीरता नहीं दिखायी।

यही वजह है कि वर्ष 2018 में शीर्ष अदालत ने एक बार फिर राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के प्रयास में माननीयों से संबंधित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया। न्यायालय के सख्त रुख के बाद भले ही कई राज्यों में इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों से लंबित मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों का गठन हो गया है, लेकिन इनके नतीजे अभी सामने नहीं आये हैं।

निर्वाचन आयोग चाहता है कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनायें। लेकिन इस विषय पर राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए कोई भी दल दागी छवि वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाने में पीछे नहीं रहना चाहता है।

अब दिल्ली विधानसभा के चुनावों में 672 प्रत्याशियों में से 133 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने और ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के 70 में से 36 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील भारतीय जनता पार्टी के 67 में से 17 और कांग्रेस के 66 में से 13 उम्मीदवार दागी छवि के हैं। बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है और उसके 66 प्रत्याशियों में से 10 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

चुनावी प्रक्रिया से दागी छवि वाले व्यक्तियों को हाशिये पर रखने के लिए जरूरी है कि जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन किया जाये। कानून में प्रावधान किया जाये कि ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे जिनके खिलाफ बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, यौन उत्पीड़न, धन शोधन और भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों में अदालत में आरोप निर्धारित हो चुका है। सितंबर, 2018 में संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा निर्वाचन आयोग के समक्ष करनी होगी।

प्रत्याशियों की इस पृष्ठभूमि का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अक्तूबर में निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी। राजनीतिक दलों ने अपनी वेबसाइट पर इनका विवरण देने के साथ ही प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि का प्रचार-प्रसार भी किया, लेकिन अपनी सुविधानुसार।

संपादकीय

नागिन डांस पर झूमने का चांस

शादियों का मौसम है और भारत में शादियां बिना नागिन डांस के मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंचती सो चारों ओर इस समय नागिन डांस की धूम है। हर बारात में दांतों में रंगीन रूमाल दबाए, हाथों से नागिन के फन जैसी मुद्रा बना कर डीजे की धुन पर लहराते हुए युवक देखे जा सकते हैं। नागिन डांस का खुमार देखिये कि बारात आधा कि.मी. का रास्ता दो घण्टे में भी पूरा नहीं कर पाती। बारात सांप के रास्ता काटने से उत्पन्न होने जैसी स्थिति में आकर ठिठक जाती है। कुछ लड़के तो डांस में इतना नेचुरल हो जाते हैं कि असली नागिन देख ले तो उसके अंदर इच्छाधारी नागिन बनने की इच्छा बलवती होने लगे।

हमारे देश में डांस का चलन पौराणिक काल से है। इंद्रलोक में ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए बाकायदा डांसिंग अप्सराएं नियुक्त थीं। वैदिक काल में ऋषियों द्वारा नाट्यशास्त्र लिखे जाने के भी प्रमाण हैं। सदियों से हमारे देश में अनेक तरह के डांस प्रचलन में हैं। मगर यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतने प्रकार की डांस श्रेणियों में नागिन डांस का कहीं उल्लेख नहीं है। नागिन डांस की उत्पत्ति कब और कहां हुई, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मेरी खोज कहती है, नागिन-डांस अपनी सरलता की वजह से शादियों में लोकप्रिय हुआ है। इसमें न क्लासिकल डांस सरीखी मुद्राएं बनाने का झंझट है और न ही फोक डांस सरीखी लयबद्धता का। पश्चिमी डांस सरीखे स्टेप भी सीखने की जरूरत नहीं है। इस डांस के लिए न विशेष प्रकार की पोशाक चाहिए और न ही किसी विशेष मेकअप की जरूरत है। और तो और यह डांस लिंग-भेद से भी ऊपर है। भले ही यह डांस अपने नाम से स्त्रीलिंग परिभाषित होता हो पर इसका स्त्रियों से दूर-दूर तक सम्बंध नहीं है। दो लड़के और एक रूमाल भर चाहिए इस डांस के लिए। हाथों को मिलाकर नागिन का फन बनाने के लिए दो मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। सड़क पर लोट लगाने के लिए तो इतने भी अभ्यास की जरूरत नहीं है। रूमाल दांतों में दबाकर बीन की स्टाइल में बजाना तो और भी आसान है। बस इतनी-सी तैयारी से बारात में रौनक आ जाती है।

पहले शादियों में नागिन डांस के लिए 'मन डोले मेरा तन डोले' गीत सबसे पसंदीदा गाना हुआ करता था। बैण्डबाजे वाले सेक्सोफोन और ट्रम्पेट पर इस गाने की धुन बजाकर बारातियों को नागिन डांस करने के लिए उत्प्रेरित करते थे। समय बदला और डीजे के आने से धुन की बाध्यता भी समाप्त हो गई लेकिन डांस के तौर-तरीके और लटके-झटके नहीं बदले। पिछले दिनों एक बारात में 'कचरे वाली गाड़ी में तुम कचरा डालो जी' स्वच्छता-गीत पर भी लोगों को सफलतापूर्वक नागिन डांस करते देख मन झूम उठा। इससे एक सामाजिक संदेश भी लोगों के बीच गया। संभवतः यह डांस भी अब स्वच्छता मिशन का ब्रांड बन जाए और शादियों में कचरा फैलाने वाले सीख लेने लगें।

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

स्वदेशी सुरक्षा कवच

अनुप जोशी।

एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का लखनऊ में आयोजन मोदी सरकार की रक्षाउत्पादन में आत्मनिर्भरता की नीति की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। तीस से अधिक मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों तथा 70 से अधिक विदेशी रक्षा कंपनियों व रक्षा विशेषज्ञों की इसमें भागीदारी आयोजन के महत्व को ही जाहिर करती है। सरकार का यह बयान भरोसा जगाता है कि पिछले दो सालों में 17000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात हुआ है और अगले पांच वर्षों में इसे 35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य है। यह विडंबना ही रही है कि आजादी से पहले रक्षा उत्पादन में अग्रणी रहा भारत सत्ताधीशों की काहिली से दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार बन गया। भारत ने अपनी इस क्षमता का उपयोग नहीं किया। न जाने क्यों देशकी रणनीति और नीति हथियारों की खरीद पर केंद्रित होकर रह गई। यह अच्छी बात है कि राजग सरकार ने रक्षा अनुसंधान व विकास की उच्च क्षमता तथा रक्षा उत्पादों के देश में उत्पादन को अपनी प्राथमिकता बनाया है। इसके लिये देश में मूलभूत ढांचा तैयार करना भी जरूरी है ताकि स्वदेशी निर्माण से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बच सके और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। निस्संदेह इससे देश में निवेश और नवोन्मेष का वातावरण बन सकेगा। लेकिन यह सिर्फ रक्षा निर्माण में लगी सरकारी संस्थाओं के भरोसे संभव नहीं है, इसमें निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका तलाशी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, रक्षा साजो-सामान उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के बीच भी सामंजस्य जरूरी है। तभी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बदलते वक्त के साथ रक्षा तकनीकों में भारी बदलाव आया है। आधुनिक युद्ध परंपरागत हथियारों के बूते नहीं लड़े जा सकते । आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की उसमें निर्णायक भूमिका होने वाली है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादों का हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे पहले भी रूस की मदद से हथियार उत्पादन इकाई का विस्तार किया गया था। लखनऊ में ग्यारहवें डिफेंस एक्सपो का आयोजन इसी कड़ी का विस्तार है जो कि रक्षा निर्माण गलियारा योजना का हिस्सा है। उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि इस आयोजन के बाद उ.प्र. में पचास हजार करोड़ का निवेश होगा और तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

हालांकि यह आंकड़ा कब हकीकत में बदलेगा, कहना कठिन है मगर इसे एक अच्छी शुरुआत तो कहा ही जा सकता है। 'डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन ऑफ डिफेंस' थीम पर आधारित इस आयोजन में रक्षा कंपनियों ने जैसा उत्साह दिखाया है, वह उम्मीद जगाता है। सरकार ने जिस तरह भारतीय आयुध निर्माता कंपनियों के लिये इंडसट्रियल लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बनाया है, उससे देश में रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में हो सकती है। सरकार ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी है। इससे अब रक्षा क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी निवेश का रास्ता साफ हुआ है। जिसके चलते पिछले पांच सालों में रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में तकरीबन सत्रह हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश संभव हो पाया है। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी-विदेशी रक्षा उत्पादों व सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन निस्संदेह स्वदेशी उत्पादकों को प्रेरित करेगा। इस आयोजन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अलावा अस्सी से अधिक स्वदेशी कंपनियों के उत्पादों का प्रदर्शन हमारी प्रगति की गाथा को दर्शाता है जो मौजूदा दौर में रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के साथ ही आतंकवाद व साइबर अपराधों से निपटने की तैयारियों में मददगार साबित होगा। निस्संदेह मोदी सरकार की रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिकता समय की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। जो आतंकवाद से जूझने और सीमाओं की सुरक्षा के लिये बेहद जरूरी भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया में रक्षा उत्पादकों का सबसे बड़ा खरीददार देश आने वाले दशकों में बड़े निर्यातक देशों में शुमार हो जाये।